तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
21-8-24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अभिभाषकगण अन्य कार्य मे व्यस्त है। अतः पत्रावली माविक कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली कार्यवाही हेतु दिनांक 25-9-24 को पेश हों। अर्जी स्थगन
25-9-24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अभिभाषकगण अन्य कार्य मे व्यस्त है। अतः पत्रावली माविक कन्डोलेन्स पर है। कार्यवाही हेतु दिनांक 12-11-2024 को पेश हों। 20 मिनट
12-11-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिनी अधिवक्ता उपस्थित। जवाब सरकार बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 26-11-2024 को पेश हो।
26-11-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिनी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थिनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थिनी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन उपरान्त प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा (बून्दी)

अधिकार
इस्म...
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला—बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या 17/2023
दायरा दिनांक 16.05.2023

पीठासीन अधिकारी
श्रीमती भावना सिंह(RAS)

बउनवान

लाली बाई पत्नी किशनगोपाल जाति मीना निवासी टोकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

—प्रार्थिया

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र कृषि भूमि पत्थरगढ़ी बाबत्
अन्तर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट
अधिवक्ताः— 1. श्री महेन्द्र रेबारी (अधिवक्ता प्रार्थिया)
2. अप्रार्थी — सरकार पेरोकार

दिनांकः— 26.11.2024

निर्णय

प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 425/306 रकबा 0.16हैक्टर वाके ग्राम केमल्या पटवार हल्का पापड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी विस्थित है। जिसका खातेदार प्रार्थिनी है एवं काबिज होकर काश्तकारी करती आ रही है लेकिन प्रार्थिया अपनी कृषि भूमि की सीमाओं की जानकारी व पत्थरगढ़ी करवाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रार्थिनी कृषि भूमि की तार पेसिंग करवाना चाहती है इसलिए अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी व सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को सीमाज्ञान करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर दिनांक 04.07.2022 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थिनी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान किया गया लेकिन सीमाज्ञान की रिपोर्ट में प्रार्थिनी की कृषि भूमि की सीमाओं की स्पष्ट जानकारी व चिन्हित नहीं की गई है कि कृषिभूमि की सीमाऐं कहां तक अंकित है इसलिए प्रार्थिनी को अपनी कृषि भूमि की सीमाऐं व पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकार है। प्रार्थिया की खाते व कब्जे की कृषि भूमि के सीमांकन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न न हो व कृषि भूमि सुरक्षित रहे इस कारण सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। अन्त में प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की गई की प्रार्थिया की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 425/306 रकबा 0.16हैक्टर वाके ग्राम केमल्या पटवार हल्का पापड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी की पत्थरगढ़ी की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ तहसीलदार इन्द्रगढ़ स्वयं उपस्थित हुए बार–बार अवसर दिए जाने पर उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किए जाने से जवाब बंद कर पत्रावली पर प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली में उपस्थित राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कृषि भूमि खसरा संख्या 425/306 रकबा 0.16हैक्टर वाके ग्राम केमल्या पटवार हल्का पापड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी प्रार्थिया लाली बाई पत्नी किशनगोपाल जाति मीना सा0 टोकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थिया द्वारा उक्त कृषि भूमि का दिनांक 04.07.2022 को सीमाज्ञान करवाया गया है जिसकी रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। हमारे मत में प्रार्थियाका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रकरण हाजा में मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थिया की कृषि भूमि खसरा संख्या 425/306 रकबा 0.16हैक्टर वाके ग्राम केमल्या पटवार हल्का पापड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी का फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार नियमतः नपती कर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाकर पत्थरगढ़ी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक २6.11.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)